(घ) क्या संसाधनों के अभाव में स्कूलों/कालेजों में बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और उनका सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा विकास व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधान-मंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते है और उनका अनुरक्षण व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को केवल उनके योजनागत कार्यक्रमों तथा वह भी उनकी आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में वित्तीय-सहायता प्रदान करता है । मुख्य रूप से राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को उचित योजनागत अनुदान प्रदान करें । योजनागत और योजनेत्तर के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय घाटे के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती है । जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों में घाटे का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) स्कूल/कालेज सामान्यतया राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों या निजी प्रबन्धों/न्यासों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और विश्वविद्यालय संसद और राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं । इन संस्थाओं में निर्धारित स्तर की मूलभूत सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यतया उस एजेंसी की है, जो संबंधित संस्था को स्थापित करती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक इमारतों को खतरा

565. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फतेहपुर सीकरी में बारूद से किए जा रहे विस्फोटों से उस क्षेत्र का कुछ ऐतिहासिक इमारतों के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) और (ख) फतेहपुर सीकरी के संरक्षित पुरातत्वीय क्षेत्र के बाहर खान की खुदाई का कार्य राज्य सरकार की विशेष अनुमति से किया गया है । डायनामाइट का प्रयोग मनाही है । तो भी, इक्के-दुक्के उदाहरण हैं डायनामाइट का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया गया है । जब ऐसा होता है, तब स्थानीय प्राधिकारियों से कहा जाता है कि वे ऐसा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करें, ताकि आसपास के स्मारकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके ।